न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–88/2022(जीसीएमएस नम्बर 2022/270)

1. मैसर्स अमित कॉलोनाईजर्स लिमिटेड जरिये प्रबन्धक निदेशक श्री विजय कुमार विजय पुत्र स्व. श्री जवाहर दास विजयवर्गीय रजिस्टर्ड ऑफिस ई–97, रिया ऐवेन्यू सुभाष मार्ग, सी–स्कीम जयपुर राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय दौसा जिला दौसा।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री सतीश कुमार पारीक एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.02.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी इस आशय का पेश किया गया कि अपीलार्थी की आराजी खसरा नम्बर 185 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 188 रकबा 1.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 189 रकबा 0.68 हैक्टयर, खसरा नम्बर 190 रकबा 0.67 हैक्टयर, खसरा नम्बर 191/2 रकबा 0.3150 हैक्टयर, खसरा नम्बर 193 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 194 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 196 रकबा 0.59 हैक्टयर, खसरा नम्बर 197 रकबा 0.31 हैक्टयर, खसरा नम्बर 146/354 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 144/1 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 149 रकबा 0.36 हैक्टयर, खसरा नम्बर 144/2 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 146/1 रकबा 0.33 हैक्टयर, खसरा नम्बर 160/2 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 161/2 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 178 रकबा 1.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 177/2 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 147/362 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 154/2 रकबा 0.48 हैक्टयर, खसरा नम्बर 157/1 रकबा 0.87 हैक्टयर, खसरा नम्बर 161/1 रकबा 0.86 हैक्टयर, खसरा नम्बर 162/383 रकबा 0.26 हैक्टयर खसरा नम्बर 166 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.43 हैक्टयर, खसरा नम्बर 170 रकबा 0.52 हैक्टयर, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर, 215 रकबा 0.50 हैक्टयर, खसरा नम्बर 114/1 रकबा 0.26 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1417 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 129/378 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 207 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 211/1 रकबा 0.89 हैक्टयर, खसरा नम्बर 95/2 रकबा 1.14 हैक्टयर, खसरा

P.T.O.

नम्बर 216 रकबा 1.53 हैक्टयर, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 138/1 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 95/1 रकबा 1.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 131/1 रकबा 0.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 132 रकबा .01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 135/1 रकबा 0.40 हैक्टयर, खसरा नम्बर 209/1 रकबा 1.49 हैक्टयर, खसरा नम्बर 134 रकबा 0.19 हैक्टयर, खसरा नम्बर 135/2 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 158/1 रकबा 0.15 हैक्टयर खसरा नम्बर 159 रकबा 0.77 हैक्टयर, खसरा नम्बर 160/1 रकबा 1.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 225 रकबा 0.39 हैक्टयर, खसरा नम्बर 226 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 145/1 रकबा 0.31 हैक्टयर, खसरा नम्बर 148/1 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.32 हैक्टयर, खसरा नम्बर 148/2 रकबा 0.33 हैक्टयर, खसरा नम्बर 201 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 208/1 रकबा 1.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 208/2 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 209/2 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 210 रकबा 1.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 211/2 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 216/382 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 195 रकबा 0.30 हैक्टयर कुल किता 69 कुल रकबा 28.81 हैक्टयर ग्राम रूगली पटवार हल्का चावण्डेडा में स्थित है जिसकी अपीलार्थी कम्पनी एकमात्र स्वामी एवं काबिज है। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नगर परिषद दौसा के नाम अंकन है उक्त भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है आस–पडौस के खातेदारान आये दिन विवाद करते है इसलिये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी किया जाना कानूनन आवश्यक व उचित है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों पर किसी प्रकार का कोई गौर किये बिना ही मनमानेपूर्ण तरीके से विधि के विपरित जाकर अपीलान्ट को उक्त प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी करवाये जाने को दिनांक 12.05.2022 को खारिज कर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त भूमि की 90बी कार्यवाही होकर राजस्व रिकार्ड में नगर परिषद दौसा का नाम दर्ज हो गया परन्तु उक्त भूमि का रिकार्डेउ खातेदार अपीलान्ट है व अपीलान्ट का मौके पर कब्जा है जो भूमि की मौका रिपोर्ट से प्रमाणित है परन्तु उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रक्रियाओं के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2022 पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया हे कि अपीलान्ट का प्रकरण पूर्ण रूप से दस्तावेजी व रिकार्ड की साक्ष्य से पूर्ण रूप से प्रमाणित होते हुए भी एवं अपीलाधीन भूमि का अपीलान्ट का कब्जा होने तथा अपीलान्ट ही प्रभावित पक्षकार है, जिस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 78/2021 बअनुवानी अमित कॉलोनाईजर्स बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2022 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

P.T.O.

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। विलम्ब सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि उक्त भूमि विवादग्रस्त वर्तमान में नगर परिषद दौसा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा कानूनन कोई भी खातेदार या गैर खातेदार ही अपनी आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवा सकता है। ऐसी स्थिति में जब वर्तमान में उक्त भूमि विवादग्रस्त अपीलार्थी के नाम दर्ज ही नही है तो वह भूमि विवादग्रस्त का खातेदार गैर खातेदार भी नही है। ऐसे में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पोषणीय ही नही होने से अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2022 को यथावत रखा जाता है।

20/2/24

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/2/24

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।